



UPSI120005132024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ, सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3785

दीवानी वाद संख्या-131/2024

रंजीत कुमार बनाम राजबक्श।

दिनांक 19.04.2024

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत स्थाई प्रतिबन्ध जरिए अधिवक्ता श्री अशोक कुमार वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादी पैरवी करे। पत्रावली वास्ते दाखिल जवाबदावा दिनांक 20.05.2024 एवं वास्ते विरचन वाद बिन्दु दिनांक 29.05.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)

बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थना पत्र 6 ग²

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6 ग² अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता पर एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से वाद के निस्तारण तक के लिए वादीय भूमि खड़न्जा व नाली भूमि स्थित ग्राम टिकरा परगना व तहसील बिसवां जनपद सीतापुर जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में अक्षर अ ब स द से प्रदर्शित किया गया है में वादी के शान्तिपूर्ण स्वत्व, अध्यासन, कब्जा व उसकी उपयोगिता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, हस्तक्षेप, कब्जा व निर्माण करने से प्रतिवादीगण को निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में सूची 11 ग के माध्यम से कोई भी प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थना पत्र 6 ग² पर एकपक्षीय रूप से कोई अन्तरिम आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी करे। प्रतिवादीगण से आपत्ति आमन्त्रित की जाये। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग² दिनांक 10.05.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)

बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थन-पत्र 8 ग²

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 8 ग² बाबत जारी किये जाने कमीशन प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायहित में प्रार्थना पत्र 8 ग² स्वीकार किया जाता है। अमीन कमिश्नर को कमीशन कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। अमीन कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में कमीशन कार्य निष्पादित करें तथा अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। कमीशन कार्य हेतु वादी आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे।

सिविल जज (जू०डि०)

बिसवाँ, सीतापुर।